# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
## शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 324/2006</u>

श्री डी0 आर0 कोरी,
सहायक ग्रेड–2,
जिला कोषालय अधिकारी,
जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़) .......... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कोटा अनुविभाग,
कोटा, जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

:: <u>आदेश</u> ::
( दिनांक 24 अक्टूबर 2006 )

श्री डी0 आर0 कोरी अपीलार्थी ने आयोग के समक्ष द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 26–5–2006 को आवेदन पत्र देकर ग्राम पंचायत–संकरी को नामांतरण हेतु दिये गये आवेदन पत्र, ग्राम पंचायत संकरी द्वारा पारित नामांतरण प्रस्ताव कार्यालय नायब तहसीलदार के द्वारा खाते के विभाजन से संबंधित दस्तावेज भू–स्वामी पर्ची क्रमांक 1772153 भाग–2 एवं पर्ची क्रमांक 2772153 किस पटवारी को दी गई सहित 8 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी। अपीलार्थी को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के पत्र दिनांक 11–4–2006 के द्वारा अपीलार्थी को जानकारी दी गई, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया कि डुप्लीकेट ऋणपुस्तिका के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से विलंब हुआ है तथा अपीलार्थी को तहसीलदार से प्राप्त जानकारी प्रदान की गई। यह भी स्पष्ट किया गया कि नायब तहसीलदार संकरी के न्यायालय से ऋणपुस्तिका की डुप्लीकेट जारी नहीं की गई है और न ही इस प्रकार का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3/ अनुविभागीय अधिकारी के इस पत्र से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने कलेक्टर, जिला–बिलासपुर को प्रथम अपील प्रस्तुत की। कलेक्टर के द्वारा निर्धारित अवधि में कोई आदेश पारित न करने के फलस्वरूप द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तत की गई।

4/ आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा अपीलार्थी के तर्कों को सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों पर भी विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसकी भूमि कुछ व्यक्तियों के द्वारा राजस्व

अधिकारियों के साथ मिलकर विक्रय बतला दी गई तथा उस विक्रय के आधार पर नामांतरण भी ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया गया तथा इस आधार पर नायब तहसीलदार के द्वारा नामांतरण किया गया। उसके द्वारा यह भी बतलाया गया कि उसकी भूमि की ऋण पुस्तिका की डुप्लीकेट प्रति के आधार पर रजिस्ट्री की गई तथा खाते का विभाजन भी कर दिया गया, जबकि जन सूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा लिखित में आवेदक को यह सूचित किया गया है कि उसकी भूमि से संबंधित ऋण पुस्तिका की दोनों प्रति की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करने हेतु नायब तहसीलदार के न्यायालय में कोई आवेदन नहीं दिया गया और न ही कोई डुप्लीकेट प्रति जारी की गई। अपीलार्थी के द्वारा ग्राम पंचायत संकरी के समक्ष नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति तथा नामांतरण हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति एवं नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश से संबंधित कागजात की प्रतियां चाही गई थी, किन्तु जन सूचना अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि उक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि नामांतरण किस आधार पर विक्रेताओं के नाम पर हुआ है यह अभिलेख उपलब्ध नहीं है। राजस्व प्रकरणों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध होना चाहिए तथा उसको संरक्षित रखने की जवाबदारी राजस्व अधिकारियों की है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की भूमि का नामांतरण बिना अपीलार्थी को नोटिस दिये किया गया है। अपीलार्थी ने यह भी बतलाया कि कुछ लोगों के द्वारा उसकी भूमि हड़पने के लिए यह कार्यवाही की गई है। क्योंकि इस भूमि की कीमत वर्तमान समय में अधिक हो गई है।

**5/** अपीलार्थी के द्वारा मांगे गये अभिलेखों की प्रति महत्त्वपूर्ण है तथा उसके स्वत्वों से संबंधित है। अभिलेखों का उपलब्ध न होना आपत्तिजनक है। नियमानुसार यह अभिलेख राजस्व अभिलेखागार में संरक्षित होना चाहिए। अभिलेखों का न मिलना तथा अपीलार्थी की भूमि से संबंधित भू–अधिकार पुस्तिका की डुप्लीकेट प्रति हेतु कोई आवेदन प्राप्त न होना, और न ही जारी किया जाना, यह संदेह प्रकट करता है कि उसकी भूमि किसी षडयंत्र के अधीन किसी के द्वारा विक्रय कर दी गई। अतः कलेक्टर जिला–बिलासपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस प्रकरण में अभिलेखों का न मिलने के संबंध में जाँच करें तथा अभिलेख उपलब्ध होने पर अपीलार्थी को अभिलेखों की छायाप्रति निःशुल्क प्रदान की जावे। यदि अभिलेख उपलब्ध नहीं होते हैं तो अभिलेखों को पुनर्निर्मित कराया जावे तथा अपीलार्थी को उसकी प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे। कलेक्टर जिला–बिलासपुर से अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यथाशीघ्र कार्यवाही करें।

**6/** प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा मांगे गये अभिलेखों की प्रति, अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण प्रदान नहीं की जा सकी है, इसके लिए जन सूचना अधिकारी दोषी नहीं है। अतः उन पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का आधार नहीं है।

**7/** अपीलार्थी की अपील उपरोक्त निर्देशों के सहित स्वीकार की जाती है।

हस्ता0/– 24–10–2006
**( ए. के. विजयवर्गीय )**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त